प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, सिरोही, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 09/23 दिनांक 11/1/2023

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7, 7ए
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– ....384, 120बी.................
   (3) अधिनियम ....–...................... धाराये :–...............–.................
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....–......................................

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 215 समय 5:35 PM
   (ब) अपराध के घटने का दिन :–**मंगलवार, दिनांक 20.09.2022, समय 05:05 पी.एम**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **23.09.2022,**

4. सूचना की किस्म :– **कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा,**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–**चौकी से बदिश उतर बफासला करीब 20 कि.मी. दूर।**
   (ब) पता :– उथमण **टॉल प्लाजा पालडी एम़, जिला सिरोही,**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   1. **श्री रेखाराम पुत्र श्री देवाराम, जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, पैशा ड्राईविंग, निवासी ग्राम कालानाडा झाक, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर, मोबाईल नं. 9950961580 ।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. **श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, जाति राजपूत, पैशा नौकरी, उम्र 50 साल, निवासी बी–62, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर राजस्थान, हाल परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही।**
   2. **श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह, पूर्व संविदा कर्मचारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही एवं तत्कालीन निजी गार्ड व फ्लाईंग संख्या डी.एफ.एस. न्यु के अन्य सदस्यगण।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्यः– ....–...

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

निवेदन हैं कि परिवादी श्री रेखाराम पुत्र श्री देवाराम, जाति जाट, निवासी कालानाडा झाक, तहसील बायतू, जिला बाडमेर, हाल ट्रक चालक, ट्रक नं. आर.जे. 39, जी.ए. 5088 द्वारा जरिये वाट्सएप ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान, जयपुर के वॉट्सएप नम्बर पर एक गोपनीय शिकायत दिनांक 23.09.2022 को निम्नानुसार प्रेषित की कि :–

सेवामें,

अतिरिक्त महानिदेशक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर राजस्थान।

विषयः– मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदयजी,

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मैं रेखाराम पुत्र श्री देवाराम निवासी कालानाडा झाक तह. गिडा, जिला बाडमेर राजस्थान का एक अर्ज इस प्रकार हैं कि मैं ट्रक चालक हूँ तथा गाड़ी में परसून भरकर अहमदाबाद से गुवाहाटी जा रहे थे। मेरे साथ परिचालक चुनाराम पुत्र नारायण राम निवासी सरनू पंचायत समिति सिणधरी जिला बाडमेर भी था। दिनांक 20 सितम्बर 2022 को सिरोही जिले के पालडी M टोल पर शाम 5 बजकर 5 मिनट पर आरटीओ द्वारा हमारी गाडी रूकवाई गई तथा हमसे पैसे मांगे गये तब हमने गाडी हाईट से न भरी होने का कहा तब हमे बोला गया कि रोज का काम हैं आप तो पूराने आदमी हैं आपको पूछने की जरूरत ही नही हैं आपको सब पता हैं ऐसे कहते हुए हमसे पांच सौ रूपये अवैध रूप से लिये जिसका वीडियो साथ सलंग्न हैं। श्रीमान जी हर रोज हम ट्रक चालकों से ऐसे अवैध वसूली होती हैं। ऐसे अवैध वूसली करने वालों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि अवैध वसूली पर अंकुश लगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि उक्त प्रकरण में अवैध रूप से वसूली गई राशि की रिकवरी कर मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक– 21 सितम्बर 2022
सलंग्न अवैध वसूली वीडियो

–एस.डी.– रेखाराम
भवदीय
रेखाराम पुत्र श्री देवाराम जी बैरड,
निवासी कालानाडा झाक तह. बायतू,
जिला बाडमेर राज्य राजस्थान
मोबाईल नंबर– +919950961580

कार्यवाही पुलिस

परिवादी की उक्त रिपोर्ट सत्यापन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय द्वारा आदेश पत्रांक–डी.जी./W/320 दिनांक 23.09.2022 से वास्ते सत्यापन इस कार्यालय को प्राप्त होने पर पर निर्देशानुसार इसका सत्यापन मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही द्वारा किया गया।

सत्यापन के दौरान उथमण टॉल प्लाजा पंहुच दिनांक 20.09.2022 की सांय 5:00 पी.एम. के आस–पास की कई विडियो क्लिप का अवलोकन किया गया किन्तु जहां परिवहन विभाग की फ्लाईंग खडी रहती हैं उस स्थान तक टॉल प्लाजा के कैमरों की पंहुच नहीं होना पाया गया, जिस पर परिवादी के ट्रक नं. आर.जे. 39, जी.ए. 5088 के टॉल पार करने का रेकर्ड प्राप्त किया गया तो दिनांक 20.05.2022 वक्त 5:05 पी.एम. पर उक्त ट्रक का टॉल से निकलना पाया गया। तत्पश्चात परिवहन विभाग सिरोही से दिनांक 20.092022 का डियूटी चार्ट प्राप्त कर परिवादी श्री रेखाराम एंव श्री नानजीराम गुलसर जिला परिवहन अधिकारी की तलबी कर बयान लेखबद्ध किये गये तथा परिवादी द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत विडियो का अवलोकन कर राशि प्राप्त करने वाले गार्ड् तथा डियूटी अधिकारी की पहचान की जाकर सत्यापन पूर्ण किया गया।

दौराने सत्यापन प्राप्त मौखिक एंव अभिलेखीय साक्ष्यों से पाया कि परिवादी श्री रेखाराम पुत्र श्री देवाराम, जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, पैशा ड्राईवरिंग, निवासी ग्राम कालानाडा झाक, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर के पास एक गुड्स गाड़ी नंबर आर.जे. 39, जी.ए. 5088 हैं, जो गुजरात से आसाम तक माल सप्लाई में चलती हैं, तथा महिने में दो ट्रिप (चक्कर) इस रूट से करती हैं, इस गाडी पर श्री रेखाराम स्वयं व श्री चूनाराम पुत्र श्री नारणाराम, जाति जाट, निवासी सरणू, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर ड्राईवरिंग करते हैं, इस दौरान उक्त गाड़ी गुजरात बोर्डर

आबूरोड़ से आगे शिवगंज तक करीब सौ–सवा सौ किलोमीटर सिरोही जिले में चलती हैं, इस दौरान आबूरोड़ एंव सिरोही के उथमण टॉल प्लॉजा के पास दो जगह आर.टी.ओ. (परिवहन विभाग) वाले इन लोगों से चैकिंग के नाम पर हर बार आते–जाते 500 रू. की अवैध वसूली (एन्ट्री) करते हैं। जबकि चालक के अनुसार इनकी गाडी के सभी कागजात एंव स्टेटस सही होते हैं, फिर भी परिवहन विभाग सिरोही व आबूरोड की फ्लाईंग द्वारा इन लोगों से अवैध वसूली की जाती हैं। जिनकी इन्हें कोई रसीद नहीं दी जाती हैं।

सत्यापन से पाया कि दिनांक 20.09.2022 को परिवादी का ट्रक आबूरोड से होते हुए सिरोही के पालड़ी एम (उथमण टॉल प्लॉजा) से निकला था, परिवादी के अनुसार उस रोज दोनों जगह आर.टी.ओ. सिरोही व आबूरोड़ की फ्लाईंग ने परिवादी से 500–500 रू. एन्ट्री के नाम पर वसूल किये थे, जिनकी परिवादी को कोई रसीद नहीं दी गई। उथमण टॉल प्लाजा से करीब 5.05 पी.एम. पर उक्त गाडी निकली थी तथा उक्त टॉल के ठीक आगे सुमेरपुर की तरफ परिवहन विभाग सिरोही की फ्लाईंग नं. न्यू के गॉर्ड श्री जोगेन्द्रसिंह संविदा कर्मचारी द्वारा परिवादी से एन्ट्री के नाम पर 500 रू. अवैध रूप से वूसल किये थे एंव परिवादी द्वारा गाडी सही होने से कोई एन्ट्री नहीं बनने का कहा जाने पर गार्ड श्री जोगेन्द्रसिंह द्वारा परिवादी को ''हमेशा चलते हो एंव पुराने आदमी हो आप सब समझते हो कि यहां पैसे लगते हैं'' कहकर एक 500 रू. का नोट प्राप्त किया था, उक्त घटनाक्रम का परिवादी द्वारा विडियो बनाया गया, जिसमें परिवहन विभाग सिरोही का गॉर्ड बावर्दी परिवादी से 500 रू. का नोट लेते हुए स्पष्ट दिख रहा हैं। जिससे यह स्पष्ट हैं कि परिवादी से अवैध वसूली की गई थी। परिवादी ने वक्त जांच यह भी बताया कि गार्ड जिस समय मेरे से सडक पर पैसे वसूल कर रहा था उस समय हमसे कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे परिवहन विभाग की सरकारी गाड़ी में एक थ्री स्टाफ अफसर आगे की सींट पर बैठा वसूली करने वालों पर नजर रख रहा था, सड़क पर गार्ड्स उनकी निगरानी में ही वसूली कर रहे थे, एंव टॉल प्लाजा से निकलने वाली प्रत्येक पंक्ति पर अवैध वसूली करने वाले गार्ड्स खड़े होकर वहां से गुजरने वाली गाडियों से अवैध वसूली कर रहे थे। बाद में मैनें पता किया तो उक्त आर.टी.ओ. सिरोही के गॉर्ड का नाम श्री जोगेन्द्रसिंह एंव उनकी फ्लाईंग के इन्चार्ज श्री सुरेन्द्र सिंह परिवहन निरीक्षक होना मेरी जानकारी में आया हैं। वगैरहा तथ्यों के संबध में श्री नानजीराम गुलसर जिला परिवहन अधिकारी की तलबी कर जांच की गई तो परिवादी से अवैध रूप से वसूली करने वाले गार्ड का नाम श्री जोगेन्द्रसिंह होना, तथा इसी घटना से संबधित विडियो डी.टी.ओ. तक पंहुचने पर उनके द्वारा उक्त गार्ड को संविदा से तत्समय ही हटा देना एंव उस समय जिला परिवहन विभाग सिरोही की फ्लाईंग सं. न्यू श्री सुरेन्द्रसिंह परिवहन निरीक्षक मय जाब्ता के साथ कथित डियूटी प्वाईण्ट पर होना पाया गया।

सत्यापन से पाया कि उस दिन श्री जोगेन्द्रसिंह संविदा गॉर्ड फ्लाईंग सं. डी.एफ. एस. न्यू के इन्चार्ज श्री सुरेन्द्रसिंह परिवहन निरीक्षक मय दल के साथ डियूटी पर गया था, जिनकी डियूटी 4:00 पी.एम. तक थी, किन्तु अगली फ्लाईंग के डियूटी प्वाईण्ट पर नहीं आने तक डियूटी प्वॉईण्ट नहीं छोडने के विभागीय निर्देश होने से श्री सुरेन्द्रसिंह परिवहन निरीक्षक की फ्लाईंग दिनांक 20.09.2022 को नियत वक्त 4:00 पी.एम. के बाद भी (परिवादी के ट्रक के वहां से गुजरने के समय अर्थात वक्त 5:05 पी.एम. तक) डियूटी प्वॉईण्ट पर थी, अर्थात परिवादी श्री रेखाराम की शिकायत से संबधित विडियो के घटनाक्रम के समय श्री सुरेन्द्रसिंह की फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस. न्यू ही उथमण टॉल प्लॉजा पर डियूटीरत थी।

इस प्रकार सत्यापन से जिला परिवहन अधिकारी की फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस. न्यू के इन्चार्ज श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, जाति राजपूत, पैशा नौकरी, उम्र 50 साल, निवासी बी–62, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर राजस्थान, हाल परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही, श्री जोगेन्द्रसिंह, तत्कालीन संविदा सुरक्षा गार्ड, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी सिरोही व फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस. न्यू के अन्य सदस्यगणों के द्वारा आपसी मिलीभगत कर डियूटी समय में उथमण टॉल प्लॉजा के आगे हाईवे पर नाका लगाकर वहां से गुजरने वाले विभिन्न ट्रकों के चालकों को चालान का भय दिखाकर एन्ट्री के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूल कर उसकी कोई रसीद संबधित को नहीं देकर राजकोष को

अनुचित आर्थिक हानि पंहुचाना पाया जाने से उक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 384, 120–बी भा.दं.सं. घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया हैं।

अतः आरोपीगण श्री सुरेन्द्रसिंह परिवहन निरीक्षक, इन्चार्ज फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस. न्यू दिनांक 20.09.2022 एंव श्री जोगेन्द्रसिंह तत्कालीन संविदा सुरक्षा गार्ड, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी सिरोही व फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस. न्यू के अन्य सदस्यगणों के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 384, 120–बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(ओमप्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सिरोही,

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384, 120बी भादसं में अभियुक्तगण 1. श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही 2. श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह, पूर्व संविदा कर्मचारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही एवं तत्कालीन निजी गार्ड व फ्लाईंग संख्या डी.एफ.एस. न्यु के अन्य सदस्यगण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 09/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 58-62 दिनांक 11.01.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (आर.न.5911)

11.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।